न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 52/2014

1– श्री रहमान पुत्र श्री गाजी आयु 60 साल
2– श्री नैना पुत्र श्री जफरू जी आयु 45 साल
3– श्री हाकीम पुत्र श्री जफरू जी आयु 40 साल
4– श्री मुन्ना पुत्र स्व0 श्री मोती जी पौत्र श्री ज़फरू जी आयु 27 साल
समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

————वादीगण

ब ना मं

1– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार मसूदा राज0
2– श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जिला–अजमेर
3– श्री खाजू पुत्र श्री जफरू जी आयु 60 साल
4– श्री अमीन पुत्र स्व0 श्री मोती जी पौत्र श्री जफरू जी आयु 25 साल
समस्त जाति मेहरात निवासीयान ग्राम हरराजपुरा तहसील मसूदा जिला–अजमेर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.2.2018

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम हरराजपुरा पटवार हल्का हरराजपुरा तहसील मसूदा में स्थित साबिक खसरा नंबर 470 हाल खसरा नंबर 581 रकबा 09–03–10 एंव साबिक खसरा नंबर 481 हाल खसरा नंबर 581 स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 4 के पूर्वज श्री गाजी व जफरू पिसरान अज्जा के नाम बतौर खातेदार राजस्व रेकार्ड में अंकन है, एंव संवत 2041 व दिनांक 15.5.1973 को जारी राजस्व विभाग राजस्थान की पास बुक जो कि पटवारी क्षैत्र हरराजपुरा तहसील ब्यावर के द्वारा जारी की गई उक्त पास बुक के कॉलम नंबर 3 में उक्त खसरा अंकन है, एंव कॉलम नंबर 4 में उक्त खसरा का रकबा व कॉलम संख्या 5 में उक्त खसरा की किस्म अंकित है। इस प्रकार उक्त आराजी कृषि भूमि अंकित है, इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि मात्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की पैतृक आराजी भूमि है, जिस पर आज दिनांक तक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है व अपने रहवासी मकान व कृषि उपयोग हेतू मकान मवेशियो को पालने व उनकी गोबर डालने आदि के उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी कि खसरा गिरदारवरी संवत 2021 से 2024 व 2030 से 2033, 2039 से 2042 में भी वादी संख्या 2 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता/दादा श्री जफरू जी पुत्र श्री अज्जा के नाम राजस्व रेकार्ड गिरदावरीयो में नाम अंकन है, इस प्रकार उक्त आराजी कृषि भूमि बरवक्त सेटलमेंट संवत 2041 में काबिज काश्तकार के नाम बतौर अंकन दरामद होना चाहिये लेकिन संवत 2041 को जारी पास बुक में उक्त वादग्रस्त आराजी को बतौर खातेदर अंकन दरामद कर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 के पूर्वज को संभला दी थी इस प्रकार उक्त पास बुक की प्राप्ति के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 यही मानते हुये कि अब हमारे नाम पास बुक जो कि राजस्थान राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई है। उक्त पास बुक में उक्त खसरा बतौर खातेदार के दर्ज हो चुका है, और हम ही उक्त आराजी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है, व मौके पर भी आज दिनांक तक उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में काफी धनबल व श्रमबल लगाकर उसे उपजाऊ भूमि बनाया है, व काबिज होकर वर्तमान में भी काश्त कर रहे है, एंव उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि में ही अपने रहवासी मकान व उक्त भूमि उपयोग के लिये मकान बाडे व गोबर आदि

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर)

.....लगातार

डालने के लिये स्थान बनाये है, एंव गाय भैस बकरीयां बैल आदि बाधने के लिये नोहरे व छप्पर आदि बनाये है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का पिछले 60 सालो से भी अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी दिनांक 20.6.2014 को व उसके पश्चात लगातार आकर उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि का नाप आदि करते हुये वादीगण को ऐलानिया आदेश दिया कि तुम्हारे इस भूमि पर बने मकान व बाडे छप्परे को तोडते हुये उक्त आराजी भूमि पर से कब्जा हटवा देंगे तब वादीगण ने उक्त वाद की नकले प्राप्त कर प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में घोषणात्मक डिक्री पारीत की जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादीगण को विवादित भूमि से बेदखल नही करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग में बाधा उपस्थित नही करे तथा यदि दावा दायरी के दौरान वादीगण को बेदखल कर देते है, तो पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे तथा किसी व्यक्ति को आंवटन/नियमन कर देते है, तो उसे निरस्त किया जावे तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादीगण के वाद को नकारते हुये कथन किया है, कि विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि नही है। उक्त वर्णित भूमि सिवायचक खाते में दर्ज है। तथा उक्त शुरू से ही सिवायचक दर्ज चली आ रही है, तथा किसी भी प्रकार से नियमन योग्य नही है। विवादित भूमि जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के खाता संख्या 1 सिवायचक नाकाबिल काश्त पहाडिया तथा पर्वत में है, तथा दिनांक 13.3.2014 से खसरा नंबर 581 रकबा 00–05–10 ए.एन.0एम. क्वार्टर निर्माण हेतू आवंटन हुआ है। उक्त साबिक खसरा नंबर 470 का रकबा 01–01–10 खसरा नंबर 481 मीन रकबा 145–00–00 पहाड खाता नंबर 1 सिवायचक में तथा खसरा नंबर 481 मिन रकबा 50–00–00 किस्म पहाड चारागाह खाते में दर्ज रिकार्ड है जमाबदी संवत 2020 से 2023 में है, तथा जो सेटलमेंट के वक्त पासबुक जारी की गई है उसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता नही दी गई है। ऐसे प्रकरणो के अन्तर्गत सन् 1984 से राज्य सरकार ने अभियान चलाकर ऐसे प्रकरणो का परीक्षणोपरान्त विधिक प्रावधान अनुसार आवंटन सलाहकार समिति की बैठको में प्रकरण निस्तारित हो चुके हैद्व कथित वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी सिवायचक नाकाबिल काश्त होकर ग्राम की आबादी भूमि से लगायत होकर मकानात व सरकारी भवन आदि बने हुये है, अर्थात कृषि योग्य नही है। उक्त विवादित भूमि 581 के रकबे 00–05–10 भूमि में सरकारी क्वार्टन निर्माण हेतू चिकित्सा विभाग को आवंटन है, तथा उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत हरराजपुरा का अटल सेवा केन्द्र बना हुआ है।उक्त विवादित भूमि सरकारी सिवायचक भूमि होने के कारण वादीगण किसी भी प्रकार के अधिकारी नही पाये जाते है। तथा उक्त तथ्यो एंव विधि का बल रखने वाले किसी अधिकार के बिना वाद प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है अतः वाद निरस्त फरमाने की कृपा करावे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर)

प्रकरण में साक्ष्य वादीगण में कथन किया है, कि जो वाद प्रस्तुत किया गया है, उसे ही वादीगण की साक्ष्य मानी जावे। साक्ष्य प्रतिवादीगण ने पैरो सरकार ने कथन किया है, कि जो जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, उसकी को साक्ष्य मानी जावे।

प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण ने अपना कब्जा पूर्वजो के समय से चले आने तथा राजस्थान

.....लगातार

सरकार द्वारा विवादित भूमि के विषय में पासबुक जारी रखी है, उसके आधार पर खातेदारी की मांग की है, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में पासबुक की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें गाजी का नाम दर्ज होना पाया गया। तथा प्रस्तुत गिरदावरीयां संवत 2021 से 2024, 2030–2033, में विवादित भूमि पर काश्त व कब्जा जफरू पुत्र अज्जा का होना पाया गया। एंव गिरादावरी संवत 2039 से 2042 में विवादित भूमि पर गेंहू काश्त होना पाया गया। जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में साबिक खसरा नंबर 481 पहाड तथा पहाडिया एंव चालू अथवा एक वर्षीय पडत होना अंकित पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2041 में हाल खसरा नंबर 581 सिवायचक लगानी व बिना लगानी दर्ज होना पाया गया। तथा मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 481 के हाल खसरा नंबर 581 होना पाया। तथा जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में विवादित भूमि खसरा नंबर 581 पहाडिया और पर्वत दर्ज होना पाया गया। ऐसी स्थिति में पत्रावली के उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीगण का आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम हरराजपुरा पटवार हल्का हरराजपुरा तहसील मसूदा में स्थित साबिक खसरा नंबर 470 व 481 के बने हाल खसरा नंबर 581 रकबा 09–03–10 एंव भूमि जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जे काश्त उपयोग में चली आ रही है, उसे नियमानुसार नियमन करने हेतू नियमन कमेटी में भेजे जाने के आदेश पारीत किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.2.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:16:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: